

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स04/2020 ता0रजु. 24.06.2020 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक01.07.20

सरकार

बनाम

मानसिंह,गोपाल पुत्रान् वृदावन

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का नावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम ~~जसवतनगर~~ ^{जसवतनगर} के खसरा नम्बर 50 रकवा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु.रास्ता पर सम्बत 2077 में श्री मानसिंह पुत्र वृन्दावन,गोपाल पुत्र वृन्दावन जाति कुशवाह निवासी नगला खुशफहम तह0 बयाना ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल बाबजूद सूचना नहीं आया अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 50 रकवा 0.01 हैक्ट. वाके ग्राम ~~जसवतनगर~~ ^{जसवतनगर} से बेदखल किया जाता है। लगान राशि 0.44 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 22 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली को अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 01.07.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना

इस पत्रावली का मांग नाम
व. जे. सं. 04 के पेज नं. 02
दिनांक 17/07/20 को वर्ष 2020
पैनल्टी रु. 221
को अब चुका है
इससे राजस्व लेखा
बदलीव दायता